हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... जो इस हुक... में ज...
01/5/26 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप0। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है किन्तु निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया गया। पत्रावली बाद सुनवाई कर [illegible] के बाद पत्रावली [illegible] [illegible] नजार के शामिल [illegible] [signature] उपजिलाधिकारी [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
303/2025	12.11.2025	01.04.2026

बउनवान

1. भरतराज
2. जयपाल पुत्रान श्री होश्यिार पौत्र नन्दराम
3. बलवन्त पुत्र श्री कन्हैया
4. बूलाराम पुत्र श्री शादीराम
5. सोमदत्त पुत्र श्री शादीराम
6. सुनिल कुमार पुत्र श्री मितरू पौत्र शादीराम
7. पवन पुत्र बवलराम पौत्र शादीराम जातियान अहीर निवासीयान बल्लूराम तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. हीराबाई बेवा ठाकुरमल जाति सिंधी निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी वकील :– श्री बस्तीराम यादव

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि आराजी हाल ख0 नं0 52 रकबा 0.48 है0, वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, जिसका 30/38 भाग उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की खरीद शुदा आराजी है हाल ख0 नं0 52 के साबिक ख0 नं0 32 रहे है, भूप्रबंध विभाग सम्वत् 2029 द्वारा नया ख० नं0 52 पैमूद किया है।
3. यह है कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी सं0 1 के पति ठाकुमल उर्फ ठाकुरमल पुत्र श्री गागूमल जाति सिंधी निवासी मुण्डावर से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के बएवज प्रतिफल एवं बाकब्जा दिनांक 20/12/1963 को ठाकुमल के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रकबा एक बीघा 10 बिस्वा खरीद किया है। आराजी मुतनाजा का वैयनामा वादीगण के आला मौरूसे नन्दराम, कन्हैयालाल, शादीराम पुत्रान दयाकिशन के नाम सम्भाग में तस्दीक कराया गया है एवं वक्त खरीद से वादीगण के पूर्वज व उनके देहान्त के बाद यादीगण आराजी मुतनाजा पर बहैसियत खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी पर काबिज होकर बेशकलीक काबिज होकर फसल दर फसल काश्त कर रहे है।

4. यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वजो द्वारा तत्कालीन खातेदार काबिज काश्तकार मृतक श्री ठाकुमल उर्फ ठाकुरमल पुत्र श्री गागूमल से बाकब्जा रजिस्टर्ड बैयनामा कसमा एवं मौके पर वक्त खरीद आराजी के खरीद शुदा रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा ले लिया था तब से वादीगण नसलन दर नसलन काबिज होकर आराजी पर काश्त करते आ रहे है आज भी मौके पर वादीगण काबिज आराजी है।
5. यह है कि विक्रेता ठाकुमल फौत हो चुका है और विक्रेता की विरासत विक्रेता की पत्नी हीराबाई प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज व मंजूर हो चुकी है वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में विक्रेता की पत्नी के नाम अमल हो रहा है।
6. यह है कि आराजी मुतनाजा का बैयनामा वादीगण के पूर्वजों ने करा लिया और बैयनामा तत्कालीन हल्का पटवारी को वास्ते इंतकाल दर्ज करने के लिये दे दिया था इसके बाद वादीगण के पूर्वज पटवारी हल्का के पास चक्कर लगाते रहे लेकिन पटवारी हल्का ने ना तो इंतकाल दर्ज किया और ना ही इंकार किया चक्कर लगाते रहे करीब एक साल बाद पटवारी हल्का ने बैयनामा वापिस दिया और कहा कि इंतकाल दर्ज हो गया है अगले चौसाला में आराजी तुम्हारे नाम दर्ज हो जायेगी इस पर वादीगण संतुष्ट हो गये और बैयनामा लाकर अपने घर में रख दिया अब दिनांक 02/06/2025 को वादीगण ने ऋण लेने के लिये आराजी की नकले लेने तहसील कार्यालय आकर पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आराजी आपके नाम नहीं है, खं0 न0 52 हीराबाई पत्नी ठाकुरमल के नाम दर्ज हो रही है इस पर वादीगण ने नकल प्राप्त की और मुण्डावर गांव में हीराबाई पत्नी ठाकुरमल की जांच पडताल की तो उसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गयी।
7. यह है कि आराजी मुतनाजा में वादीगण सं0 1 व 2 का सम्भाग 1/3 भाग वादी सं0 3 का 1/3 भाग वादी सं0 4 ल0 7 का सम्भाग 1/3 भाग खरीद शुदा कब्जे काश्त एवं खातेदारी का है मौके पर कब्जा है। इसलिये आराजी मुतनाजा ख० नं० 52 रकबा 0.48 है0, वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर में वादीगण को 30/38 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इस हद तक प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम का अमल हिस्सेनुसार दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।
8. यह है कि अब दिनांक 02/06/2025 को वादीगण ने ऋण लेने के लिये आराजी की नकले लेने तहसील कार्यालय आकर पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आराजी आपके नाम नहीं है, खं0 न0 52 हीराबाई पत्नी ठाकुरमल के नाम दर्ज हो रही है इस पर वादीगण ने नकल प्राप्त की और मुण्डावर गांव में हीराबाई पत्नी ठाकुरमल की जांच पड़ताल की तो उसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गयी। अगर प्रतिवादी सं० 1 ने उक्त आराजी को दीगर जगह बेचान कर दिया तो नुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये हु० ई० दवामी के इस अमर से पाबन्द किया जावे कि आराजी मुतनाजा को कहीं दिगर जगह रहन, बैय, हिब्बा इत्यादि से मुन्तकिल ना करें वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करें राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखें।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

9. यह है कि अब दिनांक 02/08/2025 को वादीगण ने ऋण लेने के लिये आराजी की नकलें लेने तहसील कार्यालय आकर पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि आराजी आपके नाम नहीं है, ख० नं० 52 हीराबाई पत्नी ठाकुरमल के नाम दर्ज हो रही है इस पर वादीगण ने नकल प्राप्त की और मुण्डावर गांव में हीराबाई पत्नी ठाकुरमल की जांच पड़ताल की तो उसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गयी। अगर प्रतिवादी सं० 1 ने उक्त आराजी को दीगर जगह बेचान कर दिया तो मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिये दावा पेश करने के लिये बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा साधारणतया अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।
10. यह है कि उक्त दावे में प्रतिवादी सं० 2 व 3 को दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस देना आवश्यक था लेकिन दावा अरजेन्ट नेचर का होने के कारण समय नोटिस का नहीं रहा इसलिये बिना नोटिस ही दावा पेश किया जा रहा है। इजाजत प्रार्थना पत्र दफा 80 (2) जाप्ता दिवानी संलग्न दावा पत्र है।

वादीगण ने आपने दावा पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–
अतः प्रार्थना है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की फरमायी जावे कि उक्त आराजी हाल ख0 नं0 52 रकबा 0.48 है0, वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में वादीगण सं0 1 व 2 का सम्भाग 1/3 भाग वादी सं0 3 का 1/3 भाग वादी सं0 4 ल0 7 का सम्भाग 1/3 भाग खरीद शुदा कब्जे काश्त एवं खातेदारी का है मौके पर कब्जा है इसलिये आराजी मुतनाजा ख० नं0 52 रकबा 0.48 है0, वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर में वादीगण को 30/38 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इस हद तक प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम का अमल हिस्सेनुसार दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

(ब) यह करार दिया जावे कि प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी हाल ख0 नं0 52 रकबा 0.48 है0, वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित आराजी मुतनाजा को प्रतिवादीगण कहीं दिगर जगह रहन, बैय, हिब्या इत्यादि से मुन्तकिल ना करें वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करें राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखें। पाबंद किया जावे।

(स) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

वादी का दावा को दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादी को विधिवत रूप से तामिल होने के बाद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श–1 बैयनामा दिनांक 20.12.1983, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029, प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2069–72 पेश किया गया।

संक्षिप्त बहस (वादी पक्ष की ओर से)
वादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खसरा नं. 52 रकबा 0.48 हैक्टेयर, ग्राम मुण्डावर स्थित भूमि वादीगण के पूर्वजों द्वारा विधिवत रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 20.12.1983 के माध्यम से खरीदी गई थी। क्रय के समय से ही वादीगण एवं उनके पूर्वज उक्त भूमि पर निरंतर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं तथा उनका कब्जा निर्विघ्न व शांतिपूर्ण रहा है।

यह भी निवेदन किया गया कि राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज न होना केवल पटवारी स्तर की त्रुटि है, जिससे वादीगण के वास्तविक अधिकार प्रभावित नहीं होते। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जैसे बैयनामा, मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबन्दी उनके स्वामित्व एवं कब्जे को प्रमाणित करते हैं।

प्रतिवादीगण को विधिवत तामील के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिससे वादीगण के कथनों का कोई खंडन नहीं हुआ है। अतः वादीगण का दावा अप्रतिवादित एवं प्रमाणित है।

अतः निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में इश्तकरारहक की डिक्री पारित करते हुए, राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरुस्ती कर वादीगण को खातेदारी अधिकार घोषित किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये।

संक्षिप्त विवेचन
प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि विवादित आराजी खसरा नं. 52 रकबा 0.48 हैक्टेयर, ग्राम मुण्डावर स्थित भूमि उनके पूर्वजों द्वारा विधिवत रजिस्टर्ड बैयनामा के माध्यम से क्रय की गई थी तथा तब से वादीगण नसल दर नसल उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में बैयनामा, मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबन्दी जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किये, जो उनके अधिकार एवं कब्जे की पुष्टि करते हैं। प्रतिवादीगण को विधिवत तामील के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अभिलेखों एवं साक्ष्यों के परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि वादीगण का विवादित आराजी पर वास्तविक कब्जा एवं अधिकार है तथा राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज न होना मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटि है। अतः वादीगण का दावा विश्वसनीय एवं प्रमाणित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर घोषित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 52 रकबा 0.48 हैक्टेयर, ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर–राजस्थान)

Scanned with OKEN Scanner

मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा में से 38/48 है0 में वादीगण सं0 1 व 2 का सम्भाग 1/3 भाग वादी सं0 3 का 1/3 भाग वादी सं0 4 ल0 7 का सम्भाग 1/3 भाग खातेदारी अधिकार प्राप्त है। इस सीमा तक प्रतिवादी सं. 1 हीराबाई का नाम राजस्व अभिलेखों से निरस्त (कलमबन्द) किया जाकर वादीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा (हु० ई० दवामी) द्वारा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी को किसी प्रकार से विक्रय, रहन, हिब्बा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेंगे तथा वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे। **पर्चा डिक्री जारी हो।**

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिकी दिनांक
303/2025	12.11.2025	01.04.2026

बउनवान

1. भरतराज
2. जयपाल पुत्रान श्री होश्यिार पौत्र नन्दराम
3. बलवन्त पुत्र श्री कन्हैया
4. बूलाराम पुत्र श्री शादीराम
5. सोमदत्त पुत्र श्री शादीराम
6. सुनिल कुमार पुत्र श्री मितरू पौत्र शादीराम
7. पवन पुत्र बवलराम पौत्र शादीराम जातियान अहीर निवासीयान बल्लूराम तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादीगण

बनाम

1. हीराबाई बेवा ठाकुरमल जाति सिंधी निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक, दूरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0 ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री बस्तीराम यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 01.04.2026** को **श्रीमती सृष्टि जैन, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। पर्चा डिकी जारी की जाती है :–

विवादित आराजी खसरा नं. 52 रकबा 0.48 हैक्टेयर, ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा में से 38/48 है0 में वादीगण सं0 1 व 2 का सम्भाग 1/3 भाग वादी सं0 3 का 1/3 भाग वादी सं0 4 ल0 7 का सम्भाग 1/3 भाग खातेदारी अधिकार प्राप्त है। इस सीमा तक प्रतिवादी सं. 1 हीराबाई का नाम राजस्व अभिलेखों से निरस्त (कलमबन्द) किया जाकर वादीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा (हु० ई० दवामी) द्वारा पाबंद किया जाता है कि वे विवादित

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी को किसी प्रकार से विक्रय, रहन, हिब्बा अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेंगे तथा वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। पक्षकार अपने–अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल–तिजारा, राज0

01/4/26